

पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960

(1960 का अधिनियम संख्यांक 59)

(26, दिसम्बर, 1960)

जो संशोधन 30 जुलाई 1982 तक हुए हैं, उनका भी समावेश है।

एक अधिनियम

पशुओं को अनावश्यक पीड़ा या यातना देने के निवारण के लिए और इस प्रयोजन के लिए पशुओं के प्रति क्रूरता संबंधित विधि (कानून) का संशोधन करना होगा।

भारत गणराज्य के ग्यारह वें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियम हो:-

अध्याय 1

प्राथमिक

- (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम 1960 है।
- (2) इसका विस्तार जम्मू और कश्मीर राज्य के सिवाय सम्पूर्ण भारत पर है।
- (3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे केन्द्रीय सरकार शासकीय गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करे और विभिन्न राज्यों के लिये तथा इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट विभिन्न उपबंधों के लिये, विभिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी।

परिभाषाएँ

- इस अधिनियम में जब तक कि प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो:
 - “जीव जन्तु” से मानव प्राणी से मित्र कोई सजीव प्राणी अभिप्रेत है,
 - * (ख) “बोर्ड” से धारा 4 के अधीन स्थापित और धारा 5 के अधीन समय-समय पर यथापुनर्गठित बोर्ड अभिप्रेत हैं;
 - (ग) “बृद्ध जीव जन्तु” से (घरेलू जन्तु न होनेवाला) ऐसा जीव जन्तु अभिप्रेत है जो चाहे स्थायी या अस्थायी बंधन या परिरोध में है या जो बंधन या परिरोध से उसके निकल भागने को बाधित या निवारित करने के प्रयोजनके लिये किसी साधित्र या युक्ति के अध्यक्षीन न किया गया है या जिसके पर कटे हुए हैं या जो अंगहीन है या प्रतीत होता है,

* 1982 के अधिनियम सं.26 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापन।

- (घ) “घरेलू जीव जन्तु” से ऐसा जीव जन्तु अभिप्रेत है तो साधा हुआ है या जो मनुष्य के फायदे के लिए कोई प्रयोजन पूरा करने के वास्ते साध लिया गया है या पर्याप्त रूप से साधा जा रहा है या जो यद्यपि वह वैसे न तो साध लिया गया है न साधा जा रहा है और न साधे जाने के लिए आशयित है वास्तव में पूर्णतः या भागतः साधा हुआ है,
- (ङ) “स्थानीय प्राधिकार” से नगरपालीय समिति, जिला बोर्ड या ऐसा अन्य प्राधिकारी अभिप्रेत है जो उल्लिखित स्थानीय क्षेत्र के अन्दर किन्हीं विषयों के नियंत्रण या प्रशासन से विधि द्वारा तत्समय के लिए विनिहित है,
- (च) जीव जन्तु के बारे में प्रयुक्त शब्द “स्वामी” के अन्तर्गत, न केवल उसका स्वामी है वरन् ऐसा कोई अन्य व्यक्ति भी है जिसके कब्जे या अभिरक्षा में तत्समय वह जीव जन्तु स्वामी की सम्मति से या उसके बिना है,
- (छ) “फूका या दूम देव” के अन्तर्गत दुधारू जीव जन्तु से दूध का स्राव कनकालने के उद्देश्य से उस जीव जन्तु की जननेन्द्रिय में वायु या कोई पदार्थ प्रविष्ट करने की प्रक्रिया है,
- (ज) “विहित” से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है,
- (झ) “पथ्या” के अन्तर्गत ऐसा कोई मार्ग, सड़क, कूचा, चौक, प्रांगण, वीथिका, रास्ता या खुला स्थान है, भले ही वह आम रास्ता हो या न हो, जहाँ कि जनता की पहुँच है।

जीव जन्तुओं को रखनेवाले व्यक्तियों का कर्तव्य

3. किसी जीव जन्तु की देखभाल करने वाले या उसे रखने वाले हर एक व्यक्ति का कर्तव्य होगा कि वह ऐसे जीव जन्तु का कल्याण सुनिश्चित करने के लिये, और ऐसे जीव जन्तु को अनावश्यक पीडा या यातना देने का निवारण करने के लिये, सब युक्तियुक्त उपाय करे।

अध्याय 2

* “भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड”

जीव जन्तु कल्याण बोर्ड की स्थापना

4. (1) साधारणतया जीव जन्तु कल्याण की अभिवृद्धि के लिये और विशेषतया जीव जन्तुओं को अनावश्यक पीडा या यातना देने से बचाने के प्रयोजन के लिये, केन्द्रीय सरकार द्वारा, इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् यथाशीघ्र, ++ भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड कहलाया जानेवाला, एक बोर्ड स्थापित किया जायेगा।
- (2) बोर्ड निगम निकाय होगा और उसका शाश्वत उत्तराधिकार होगा और एक सामान्य मुद्रा होगी और इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, सम्पत्ति का अर्जन, धारण और व्ययन करने की उसको शक्ति होगी और अपने नाम से बाद चला सकेगा और उसपर उसके नाम से वाद चलाया जा सकेगा।

बोर्ड का गठन

5. (1) बोर्ड निम्नलिखित व्यक्तियों पर से, अर्थात् :
- (क) भारत सरकार के वन महा-निरीक्षक से जो पदेन सदस्य होगा,

* 1982 के अधिनियम सं.26 की धारा-3 द्वारा जीव जन्तु कल्याण बोर्ड शीर्षक का प्रतिस्थापन।

++ 1982 के अधिनियम सं.26 की धारा - 4 द्वारा जीव जन्तु कल्याण बोर्ड शीर्षक का प्रतिस्थापन।

- (ख) भारत सरकार के पशु पालन आयुक्त से, जो पदेन सदस्य होगा
- *(खक)दो व्यक्ति, जो क्रमशः गृह और शिक्षा से सम्बन्धित केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों का प्रतिनिधित्व करेंगे, केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे;
- (खख)एक व्यक्ति, जो भारतीय वन्य प्राणी बोर्ड का प्रतिनिधित्व करेगा, केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा;
- (ख ग)तीन व्यक्ति, जो केन्द्रीय सरकार की राय में, जीव जन्तु कल्याण कार्य में सक्रिय रूप से लगे हैं या लगे रहे हैं और सुविख्यात लोकोपकारक हैं, केन्द्रीय सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाएंगे;
- (ग) पशु चिकित्सा व्यवसायियों की, जिस संस्था का प्रतिनिधित्व केन्द्रीय सरकार की राय में बोर्ड में होना चाहिये उस संस्था का प्रतिनिधित्व करने वाले एक व्यक्ति से, जिसका निर्वाचन उस संस्था द्वारा विहित रीति में किया जायेगा,
- (घ) आधुनिक तथा देशज चिकित्सा प्रणालियों का प्रतिनिधित्व करनेवाले दो व्यक्तियों से, जिनका नाम निर्देशन केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जायेगा,
- ***(ङ) एक-एक व्यक्ति, जो ऐसे दो नगर निगमों में, से जिनका केन्द्रीय सरकार की राय में बोर्ड में प्रतिनिधित्व होना चाहिए, प्रत्येक का प्रतिनिधित्व करेंगे, विहित रीति से उक्त निगमों में से प्रत्येक के द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे।
- (च) जीव जन्तु कल्याण में सक्रिय रूप से रुचि रखने वाले जिन संगठनों का प्रतिनिधित्व केन्द्रीय सरकार की राय में बोर्ड में होना चाहिये ऐसे तीन संगठनों में से हर एक का प्रतिनिधित्व करने वाले एक व्यक्ति से जो उक्त संगठनों में से हर एक के द्वारा विहित रीति में चुना जायेगा।
- (छ) जीव जन्तुओं के प्रति क्रूरता निवारण सम्बन्धी जिन संस्थाओं का प्रतिनिधित्व केन्द्रीय सरकार की राय में बोर्ड में होना चाहिये, ऐसी तीन संस्थाओं में से हर एक का प्रतिनिधित्व करने वाले एक व्यक्ति से जो विहित रीति में चुना जायेगा,
- (ज) केन्द्रीय सरकार द्वारा नाम निर्देशित किये जानेवाले तीन व्यक्तियों से,
- (झ) संसद के छ सदस्यों से, जिन में से चार का निर्वाचन लोक सभा द्वारा किया जायेगा और दो का निर्वाचन राज्य सभा द्वारा किया जायेगा, मिलकर गठित होगा।
- (2) उपधारा (1) के खण्ड (क)*“या खण्ड (ख) या खण्ड(ख क) या खण्ड (ख ख)* में निर्दिष्ट व्यक्तियों में से कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को बोर्ड के अधिवेशनों में से किसी में भाग लेने के लिये प्रतिनियुक्त कर सकेगा।
- + (3) केन्द्रीय सरकार बोर्ड के सदस्यों में से एक सदस्य को बोर्ड का अध्यक्ष और बोर्ड के एक अन्य सदस्य को बोर्ड का उपाध्यक्ष नाम निर्दिष्ट करेगी।

बोर्ड का पुनर्गठन ❖ 5 ख

- (1) केन्द्रीय सरकार, इस दृष्टि से कि बोर्ड का अध्यक्ष और अन्य सदस्य एक ही तारीख तक पद धारण करें और उनकी पदावधियां उसी तारीख को समाप्त हों, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, बोर्ड का पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (संशोधन) अधिनियम, 1982 के प्रवृत्त होने के पश्चात्, यथा संभव, पुनर्गठन कर सकेगी।

-
- * 1982 के अधिनियम सं.26 की धारा 5 (क) (1) द्वारा अन्तः स्थापित।
- ** 1982 के अधिनियम सं.26 की धारा (क) () द्वारा नए खण्ड (ङ) का प्रतिस्थापन।
- * 1982 के अधिनियम सं.26 की धारा 5 (ख) के द्वारा नए खण्ड (ख) में शब्द, कोष्ठकों और अक्षर का प्रतिस्थापन।
- ** 1982 के अधिनियम सं.26 की धारा 5 (ग) द्वारा नए खण्ड का प्रतिस्थापन।

- (2) उपधारा (1) के अधीन पुनर्गठित बोर्ड, उपधारा (1) के अधीन अपने पुनर्गठन की तारीख से प्रत्येक तीसरे वर्ष के अवसान पर समय-समय पर पुर्गठित किया जाएगा।
- (3) उपधारा (1) के अधीन पुनर्गठित बोर्ड के सदस्यों में वे सभीव्यक्ति सम्मिलित किए जाएंगे, जो उस तारीख के ठीक पहले, जिसको ऐसा पुनर्गठन प्रभावशील होना है, बोर्ड के सदस्य है, किन्तु ऐसे व्यक्ति उस अवधि के अनवसित भाग के लिए ही जिसके लिए वे, यदि ऐसा पुनर्गठन न किया गया होता तो, पद धारण करते, पद धारण करेंगे और उनके बोर्ड के सदस्य न रह जाने के परिणामस्वरूप पैदा होने वालीरिक्तियां इस प्रकार पुनर्गठित बोर्ड की अवशिष्ट कालावधि के लिए आकस्मिक रिक्तियों के रूप में भरी जाएंगी ।

परन्तु इस उपधारा की कोई भी बात किसी ऐसे व्यक्ति के सम्बन्ध में लागू नहीं होगी जो पशुओं के प्रीन कूरता का निवारण (संशोधन) अधिनियम, 1982 की धारा 5 के खंड (क)के उपखंड (ii) द्वारा धारा 5 की उपधारा (1) में किए गए संशोधन के फलस्वरूप बोर्ड का सदस्य नहीं रह जाता है।

बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल और उनकी सेवा शर्तें

6. (1) वह अवधि जिसके लिए बोर्ड का धारा 5क के अधीन पुनर्गठन किया जा सकेगा, पुनर्गठन की तारीख से तीन वर्ष होगी और इस प्रकार पुनर्गठित बोर्ड का अध्यक्ष और अन्य सदस्य उस अवधि के अवसान तक पद धारण करेंगे जिसके लिए बोर्ड का इस प्रकार पुनर्गठन किया गया है।
- (2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी -
- (क) पदेन सदस्य की पदावधि तब तक बनी रहेगी जब तक वह उस पद को धारण किए रहता है जिसके आधार पर वह ऐसा सदस्य है;
- (ख) व्यक्तियों के किसी निकाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए धारा 5 के खंड (ग), खंड (ड), खंड (च), खंड (झ) के अधीन निर्वाचित या चुने गए सदस्य की पदावधि जैसे ही वह सदस्य उस निकाय का, जिसने उस निर्वाचित किया था या जिसकी बाबत वह चुना गया था, सदस्य नहीं रह जाता है, समाप्त हो जाएगा;
- (ग) किसी आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए नियुक्त नामनिर्दिष्ट, निर्वाचित या चुने गए सदस्य की पदावधि उस सदस्य की अवशिष्ट पदावधि के लिए होगी जिसके स्थान पर वह नियुक्त, नामनिर्दिष्ट या निर्वाचित किया गया है या चुना गया है;
- (घ) केन्द्रीय सरकार किसी सदस्य को, उसके प्रस्थापित हटाए जाने के विरुद्ध हेतुफ दर्शित करने का उसे उचित अवसर देने के पश्चात् उन कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, किसी भी समय हटा सकेगी हटा सकेगी और ऐसे हटाए जाने से हुई कोई रिक्ति खंड (ग) के प्रयोजन के लिए आकस्मिक रिक्ति मानी जाएगी
- (3) बोर्ड के सदस्य ऐसे भक्ते, यदि कोई हो, पाएंगे जिनके लिए बोर्ड केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के अधीन रहते हुए, इस निमित्त बनाए गए विनियमों द्वारा, उपबंध करे।
- (4) बोर्ड द्वारा किए गए किसी भी कार्य या कार्यवाही को केवल इसी कारण प्रश्नगत नहीं किया जाएगा कि बोर्ड में कोई रिक्ति थी अथवा उसके गठन में कोई त्रुटि थी तथा विशिष्टतया और पूर्वगामी भाग की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उस अवधि की समाप्ति जिसके लिए बोर्ड का धारा 5ख के अधीन पुनर्गठन किया गया है और उस धारा के अधीन उसके आगे पुनर्गठन के बीच की अवधि के दौरान, बोर्ड के पदेन सदस्य बोर्ड की सभी शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन करेंगे।

** 1982 के अधिनियम सं.26 की धारा 6 द्वारा नई धारा 5 (क) का अन्तः स्थापन।

सचिव तथा बोर्ड के अन्य कर्मचारी

7. (1) केन्द्रीय सरकार +*⁰⁰⁰ बोर्ड का सचिव नियुक्त करेगी।
(2) ऐसे नियमों के जैसे केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त बनाये जायें अध्यक्षीन यह है कि बोर्ड इतने अन्य पदाधिकारी और नियोजित नियुक्त कर सकेगा जितने उसकी शक्तियों के प्रयोग और उसके कृत्यों के निर्वहन के लिये आवश्यक हों और ऐसे पदाधिकारियों तथा अन्य नियोजितियों की सेवा के निबंधनों और शर्तों का अवधारण केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, अपने द्वारा बनाये गये विनियमों से कर सकेगा।

बोर्ड की निधि

8. बोर्ड की निधियां, समय-समय पर सरकार द्वारा उसको दिये गये अनुदानों से और किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसको दिये गये अंशदानों, अभिदानों वसीयतों, उपहारों और तद्रूप धनों से मिलकर बनेंगी।

बोर्ड के कृत्य

9. बोर्ड के ये कृत्य होंगे कि वह -
- (क) जीव जन्तुओं के प्रति क्रूरता निवारण के लिये भारत में प्रवृत्त विधि का बराबर अध्ययन करता रहे और ऐसी किसी विधि में समय-समय पर किये जाने वाले संशोधनों की बाबत सरकार को सलाह दे,
 - (ख) जीव जन्तुओं से सामान्यत और अधिक विशिष्टतया जब वे एक स्थान से दूसरे स्थान को परिवहन किए जा रहे हैं या जब वे अभिनयकर्ता जीव जन्तुओं के रूप में प्रयुक्त किए जा रहे हैं या जब वे बन्धन या परिधि में रखे गए हैं तब अनावश्यक पीड़ा या यातना से बचाने की दृष्टि से इस अधिनियम के अधीन नियम बनाने की बाबत केन्द्रीय सरकार को सलाह दे,
 - (ग) भारवाही जीव जन्तुओं पर भार कम करने के लिए यानों के डिजाइनों में सुधार की बाबत सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी या अन्य व्यक्ति को सलाह दे,
 - (घ) शेरों, जलनादों और जल संग्रहों का सन्निर्माण प्रोत्साहित या उपबन्धित करके और जीव जन्तुओं के लिए पशुचिकित्सा सहायता उपबन्धित करके पशुओं की बेहतरी के लिए जैसे उपाय बोर्ड ठीक समझे वैसे सब उपाय करें,
 - (ङ) बधशालाओं के डिजाइन की बाबत या वधशालाओं को चलाने की बाबत या जीव जन्तुओं के वध के संबंध में सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी या अन्य व्यक्ति को सलाह दे जिससे जहाँ तक संभव हो वध से पहले के प्रक्रमों में अनावश्यक पीड़ा या यातना का, चाहे वह शरीरिक हो या मानसिक, विलोप हो जाए और जहाँ कहीं जीव जन्तुओं को मार देना आवश्यक हो वहाँ वैसा यथासाध्य मानवोचित रीति में किया जाए,
 - (च) जब कभी अवांछनीय जीव जन्तुओं का नष्ट किया जाना आवश्यक हो तब स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा वैसा या तो तुरन्त जाय या जीव जन्तुओं को पीड़ा या यातना के प्रति अचेत करके किया जाना सुनिश्चित करने के लिए जैसे उपाय करना बोर्ड ठीक समझे वैसे सब उपाय करे।
- * (छ) ऐसे, “पिंजरापोलों”, वचावगृहों, पशुआश्रयों, पशुवनों और वैसे ही अन्य स्थानों के, जहाँ पशु और पक्षी बूढ़े और बेकार हो जाने पर, या जब उन्हें संरक्षण की आवश्यकता हो तब, शरण पा सकें, निर्माण या स्थापना को वित्तीय सहायता के अनुदान से या अन्यथा प्रोत्साहित करे।

-
- + 1982 के अधिनियम सं.26 की धारा 7 द्वारा नई धारा का प्रतिस्थापन।
+ 1982 के अधिनियम सं.26 की धारा 8 द्वारा अपने अधिकारियों में से एक को शब्दों का लोप किया गया है।
* 1982 के अधिनियम सं.26 की धारा 9 (क) द्वारा साखाहक पशुओं की बेहतरी शब्दों का प्रतिस्थापन।

- (ज) जीव जन्तुओं को अनावश्यक पीड़ा या यातना से बचाने के प्रयोजन के लिए या जीव जन्तुओं तथा पक्षियों की संरक्षा के लिए स्थापित संस्थाओं या निकायों के साथ सहयोग करे और उनके कार्य का समन्वय करे।
- (झ) किसी स्थानीय क्षेत्र में कार्यशील जीव जन्तु कल्याण संगठनों की वित्तीय या अन्य सहायता दे या किसी स्थानीय क्षेत्र में ऐसे जीव जन्तु कल्याण संगठनों का बनाया जाना प्रोत्साहित करे जो बोर्ड के साधारण पर्यवेक्षण और पथप्रदर्शन के अधीन कार्य करें।
- (ञ) जीव जन्तु अस्पतालों में जिस चिकित्सीय देख-रेख और सावधानी का उपबन्ध हो उससे सम्बद्ध विषयों पर सरकार को सलाह दे और जब कभी बोर्ड आवश्यक समझे पशु अस्पतालों को वित्तीय या अन्य सहायता दें।
- (ट) जीव जन्तुओं के साथ मानवोचित बरताव करने की बाबत शिक्षा दे और जीव जन्तुओं को अनावश्यक पीड़ा या यातना देने के विरुद्ध और जीव जन्तु कल्याण के अभिवर्धन के पक्ष में भाषणों, पुस्तकों, पोस्टरों, चलचित्र प्रदर्शनों और तद्रूप साधनों के द्वारा लोकमत बनाना प्रोत्साहित करें।
- (ठ) जीव जन्तु कल्याण से या जीव जन्तुओं को अनावश्यक पीड़ा या यातना देने का निवारण करने से ससक्त किसी विषय पर सरकार को सलाह दें।

विनियम बनाने की बोर्ड की शक्ति

10. बोर्ड केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के अधीन रहते हुए ऐसे विनियम बना सकेगा जैसे वह अपने कार्यों के प्रशासन के लिए और अपने कृत्यों को पूरा करने के लिए ठीक समझे।

अध्याय 3

जीव जन्तुओं पर सामान्य क्रूरतायें

पशुओं के साथ क्रूरतापूर्ण बरताव करना

11. (1) यदि कोई व्यक्ति—
- (क) किसी जीव जन्तु को पीटता है, ठोकर मारता है, उस पर अत्याधिक सवारी करता है, उसे अत्याधिक हाँकता है, अतिभारित करता है, अवपीड़ित करता है, या अन्यथा उसके साथ ऐसा बरताव करता है जिससे उसे अनावश्यक पीड़ा या यातना हो या किसी जीव जन्तु के साथ बरताव करवाता है या उसका स्वामी होते हुए उस के साथ ऐसा बर्ताव होने देता है, या
- *(ख) किसी कार्य या श्रम में या किसी अन्य प्रयोजन के लिए किसी ऐसे जीव जन्तु को नियोजित करता है जो अपनी आयु या किसी रोग, दौर्बल्य, घाव, फोड़े के कारण या अन्य कारण से ऐसे नियोजित किए जाने के अयोग्य है या ऐसे किसी अयोग्य जीव जन्तु का स्वामी होते हुए उसे ऐसे नियोजित होने देता है, या

* 1982 के अधिनियम सं.27 की धारा 9 (ख) द्वारा पिंजरापालों, पशुआश्रयों और वैसे ही अन्य स्थानों का निर्माण शब्दों का प्रतिस्थापन।

* 1982 के अधिनियम सं.26 की धारा 10 (क) (i) द्वारा किसी कार्य का श्रम में किसी ऐसे पशु को लगाएगा जो किसी रोग

- + (ग) किसी पशु को किसी क्षतिकारक औषधि या क्षतिकारक पदार्थ का मनः पूर्वक या, अतियुक्ति रूप से पान कराता है या किसी पशु को ऐसी किसी औषधि या ऐसे किसी पदार्थ का मनःपूर्वक या अतियुक्ति रूप से पान करवाता है या पान करवाने की चेष्टा करता है, या
- (घ) किसी जीव जन्तु को किसी यान में या पर या के बिना ऐसी रीति या स्थिति में प्रवहण करता है या ले जाता है जिससे उसको अनावश्यक पीड़ा या यातना हो, या
- (ङ) किसी जीव जन्तु को ऐसे पिंजड़े या अन्य पात्र में रखता है या परिरुद्ध करता है जिसकी उँचाई, लम्बाई या चौड़ाई इतनी पर्याप्त नहीं है जितनी से जीव जन्तु को हिलने डूलने का युतियुक्त अवसर मिले, यया
- (च) किसी जीव जन्तु को अतियुक्ति रूप से छोटी या अतियुक्ति रूप से भारी जंजीर या रस्सी से अतियुक्ति समय के लिए जकड़ा या बन्धा हुआ रखता है, या
- (छ) अभ्यास रूप से जंजीर में बन्धे रहने वाले या संकरे परिरोध में रखे गए किसी कुत्ते का स्वामी होते हुए उसे युक्तियुक्त रूप से अभ्यास कराने या अभ्यास करवाने में उपेक्षा करता है, या
- * (ज) किसी जीव जन्तु का स्वामी होते हुए ऐसे जीव जन्तु के लिए पर्याप्त खाने, पीने या आश्रय का उपबल्ल्ध करने में असफल रहता है, या
- (झ) युक्तियुक्त कारण के बिना किसी जीव जन्तु को ऐसी परिस्थितियों में परित्यक्त करता है जिनसे यह सम्भाव्यता हो जाती है कि आहाराभाव, या प्यास के कारण उसे पीड़ा सहनी पड़ेगी या
- (ञ) ऐसे जीव जन्तु को, जिस का वह स्वामी है तब जब वह जीव जन्तु संस्पर्शज या संक्रामक रोग से ग्रस्त है, पुनः पूर्वक किसी पथ्या में स्वच्छन्द फिरने देता है या किसी रोगग्रस्त या अशक्त जीव जन्तु को, जिसका वह स्वामी है, युक्तियुक्त कारण के बिना किसी पम्या में मर जाने देता है, या
- (ट) किसी ऐसे जीव जन्तु को, जो अंग भंग, आहाराभाव, प्यास, अति संकलता या अन्य दुर्व्यवहार के कारण पीड़ा सह रहा है विक्रयार्थ पेश करता है या युक्तियुक्त कारण के बिना अपने कब्जे में रखता है, या
- + (ठ) किसी पशु का अंग-विच्छेद करेगा या किसी पशु को (जिसके अन्तर्गत आवारा कुत्ते भी हैं) हृदय में स्ट्रीक्नीन - अन्तः क्षेपण की पद्धति का उपयोग करके या किसी अन्य अनावश्यक क्रूर ढंग से मार डालेगा; अथवा++ (ड) केवल मनोरंजन करने के उद्देश्य से -
- (i) किसी पशु को ऐसी रीति से परिरुद्ध करेगा या कराएगा (जिसके अन्तर्गत किसी पशु का किसी व्याघ्र या अन्य पशुवन में चारे के रूप में बाँधा जाना भी है) कि यह किसी अन्य पशु का शिकार बन जाए; अथवा
- (ii) किसी पशु को किसी अन्य पशु के साथ लड़ने के लिए या उसे सताने के लिए उद्दीप्त करेगा, अथवा
- (ढ) जीव जन्तुओं की लड़ाई के लिए या किसी जीव जन्तु को चारा देकर फंसाने के प्रयोजन के लिए किसी स्थान का संगठन संचालन या प्रयोग करता है या उसके प्रबन्ध में काम करता है या किसी स्थान को ऐसे प्रयुक्त करने देता है या प्रयोग में लाए जानेवाले किसी स्थान में किसी अन्य व्यक्ति के प्रवेश के लिए धन प्राप्त करता है, या
- (ण) किसी ऐसी गोली मारने की मैच या प्रतियोगिता का, जिसमें जीव जन्तु ऐसे गोली मारने के प्रयोजन के लिए बनाने से युक्त किए जाते हैं, संप्रवर्तन करता है या उस में भाग लेता है,

-
- + शब्दों का प्रतिस्थान 1982 के अधिनियम सं.26 की धारा 10 (क)(ii) द्वारा किसी पालतू या बन्धुआ पशु को शब्दों का प्रतिस्थापना।
- + 1982 के अधिनियम सं.26 की धारा 10 (क) (v) द्वारा नए खंड (ड) का प्रतिस्थापन।
- ++ 1982 के अधिनियम सं.26 की धारा 10 (क)(vi) द्वारा खण्ड (ढ) को अपने कारबार के लिए शब्दों का लोप किया जाएगा।

- ++ तो वह प्रथम अपराध की दशा में, जुमाने से, जो दस रूपए से कम नहीं होगा किन्तु जो पचास रूपए तक का हो सकेगा और द्वितीय या पश्चातवर्ती अपराध की दशा में, जो पिछले अपराध के किए जाने के तीन वर्ष की अवधि के भीतर किया जाता है, जुमाने से, जो पच्चीस रूपये से कम नहीं होगा किन्तु जो एक सौ रूपए तक का दण्ड या कारावास जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, अथवा दोनों दण्डों से, दण्डित किया जाएगा।
- (2) यदि स्वामी अपराध को रोकने की दृष्टि से युक्तियुक्त देखरेख और पर्यवेक्षण करने में असफल रहा है, तो उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि उसने अपराध किया है।
परन्तु जहाँ तक स्वामी द्वारा कूरता के सिद्ध होने पर केवल इस कारण हुआ है कि वह ऐसी देखरेख और पर्यवेक्षण करने में असफल रहा है वहाँ वह जुमाने के विकल्प के बिना कारावास के दायित्वाधीन नहीं होगा।
- (3) इस धारा की कोई बात -
- (क) विहित रीति में पशुओं के सींग-रोधन या वधीकरण या दागनेया नकेल डालने, या,
- (ख) आवारा कुत्तों को विनाश मारक प्रकोष्ठों में या किन्हीं अन्य ऐसे ढंगों से जो विहित किए जाएँ या,
- (ग) किसी तत्समय प्रवृत्त विधि के प्राधिकार अधीन किसी जीव जन्तु को समाप्त या विनष्ट करने, या,
- (घ) अध्याय 4 में के किसी मामले, या,
- (ङ) मानव भोजन के रूप में किसी जीव जन्तु को विनष्ट करने या विनष्ट करने की तैयारी के अनुक्रम में उस सूरत के सिवाय जिसमें ऐसे विनाश या तैयारी के साथ अनावश्यक पीड़ा या यातना होती है, किसी काम के करने या न करने को लागू नहीं होगी।

फूँका या दूम देव करने के लिये शास्ति

12. यदि कोई व्यक्ति किसी गाय या अन्य दुधारु पशु पर “फूँका” या “दूम देव” नामक क्रिया या दुग्ध स्रावण को बढ़ाने के लिए कोई अन्य ऐसी क्रिया (जिसके अन्तर्गत किसी पदार्थ का अन्त क्षेपण भी है) करेगा जो उसे पशु के स्वास्थ्य के लिए हानिकर है। या अपने कब्जे या अपने नियंत्रण के अधीन वाले ऐसे किसी जीव जन्तु पर ऐसी क्रिया का किया जाना अनुज्ञात करता है तो वह एक हजार रूपए तक का जुमाना हो सकेगा या कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हा सकेगी या दानों से दंडनीय होगा और वह जीव जन्तु जिस पर क्रिया की गई थी, सरकार के पक्ष में जब्त कर लिया जाएगा, होने वाले प्रभाग के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

पीड़ित जीव जन्तुओं का विनाश

- 13 (1) जहाँ कि किसी जीव जन्तु का स्वामी धारा 11 के अधीन अपराध का दोष सिद्ध होने पर ठहराया जाता है वहाँ यदि न्यायालय का समाधान हो जाता है कि उस जीव जन्तु को जीवित रखना कूरता होगी, तो न्यायालय के लिए यह निदेश देना कि वह जीव जन्तु विनष्ट कर दिया जाए और उस जीव जन्तु को उस प्रयोजन के लिए किसी उपयुक्त व्यक्ति को सौंपना विधिपूर्ण होगा, और वह व्यक्ति जिसे ऐसा जीव जन्तु ऐसे सौंपा जाता है अनावश्यक

++ 1982 के अधिनियम सं.26 की धारा 10 (क) (vii) द्वारा तो वह प्रथम उपराध शब्दों में आरंभ होनेवाले और दंडित किया जाएगा शब्दों के साथ समाप्त।

* 1982 के अधिनियम सं.26 की धारा 10 (ख) द्वारा किन्हीं अन्य ढंगों सं, जिससे उन्हें कम से कम यातना हो शब्दों के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

++ 1982 के अधिनियम सं.26 की धारा 11 द्वारा दूम देव शब्दों के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

यातना के बिना ऐसे जीव जन्तु को यथाशक्य शीघ्र विनष्ट कर देगा या ऐसे जीव जन्तु को अपनी उपस्थिति में विनष्ट करवाएगा और उस जीव जन्तु को विनष्ट करने में उपागत किसी युक्तियुक्त व्यय का उसके स्वामी से वसूल किया जाना, न्यायालय द्वारा आदिष्ट किया जा सकेगा, मानो कि वह जुर्माना हो:

परन्तु इस धारा के अधीन कोई आदेश जब तक कि स्वामी स्वयं अपनी अनुमति न दे सम्बद्ध क्षेत्र के भारसाधक पशु चिकित्सा पदाधिकारी के साक्ष्य पर दिए जाने के सिवाय नहीं दिया जाएगा।

- (2) जब किसी मजिस्ट्रेट पुलिस आयुक्त या जिला पुलिस अधीक्षक के पास यह विश्वास करने का कारण है कि किसी जीव जन्तु के संबंध में धारा 11 के अधीन कोई अपराध किया गया है तब यदि उसकी राय में उस जीव जन्तु को जीवित रखना क्रूरता होगी तो वह उस जीव जन्तु को तुरन्त विनष्ट करने का निदेश दे सकेगा।
- (3) कान्स्टेबल से उम्र की पंक्ति वाला कोई पुलिस पदाधिकारी या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई व्यक्ति जो किसी जीव जन्तु को इतना रोगग्रस्त या इतने अग्ररूप से क्षतिग्रस्त या ऐसी शारीरिक दशा में पाता है कि उस की राय में उसे क्रूरता के बिना नहीं हटाया जा सकता है, उस सूरत में जिसमें कि स्वामी अनुपस्थित है या जीव जन्तु को विनष्ट करने के लिये अपनी सम्मति देने से इंकार करता है, उस क्षेत्र के भारसाधक पशु चिकित्सा पदाधिकारी के जिस में जीव जन्तु पाया जाता है तत्क्षण आहूत कर सकेगा और यदि पशु चिकित्सा पदाधिकारी यह प्रमाणित करता है कि वह जीव जन्तु मृत्युकारक रूप में क्षतिग्रस्त है या इतने उग्ररूप से क्षतिग्रस्त है या ऐसी शारीरिक दशा में है कि उस को जीवित रखना क्रूरता होगी तो यथास्थिति, पुलिस पदाधिकारी या प्राधिकृत व्यक्ति, मजिस्ट्रेट का आदेश अभिप्राप्त करने के पश्चात् उस क्षतिग्रस्त जीव जन्तु को ऐसी रीति से जो विहित की जाएं, विनष्ट कर सकेगा या करवा सकेगा।
- (4) जीव जन्तु विनष्ट करने के लिये मजिस्ट्रेट के किसी आदेश से कोई अपील नहीं होगी।

अध्याय 4

जीव जन्तुओं पर प्रयोग करना

जीव जन्तुओं पर प्रयोग करना

14. शरीर क्रिया ज्ञान की या ऐसे ज्ञान की जो चाहे मानवों, जीव जन्तुओं या पौधों की जीवन रक्षा, जीवन वृद्धि या यातना शमन के लिए या किसी रोग की रोकथाम के लिए उपयोगी हो, नयी खोज द्वारा उन्नति के प्रयोजन के लिए जीव जन्तुओं पर (शल्य क्रिया अनतर्वलित रखने वाले प्रयोगों सहित) प्रयोगों का किया जाना इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात से विधि विरुद्ध नहीं होगा।

जीव जन्तुओं पर प्रयोगों के नियन्त्रण और पर्यवेक्षण के लिए समिति

15. (1) यदि किसी समय बोर्ड के परामर्श पर केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि जीव जन्तुओं पर प्रयोगों के नियन्त्रण और पर्यवेक्षण के प्रयोजन के लिये समिति बनाना आवश्यक है तो वह, शासकीय गजट में अधिसूचना द्वारा इतने शासकीय और अशासकीय व्यक्तियों की एक समिति गठित कर सकेगी जितने उसमें नियुक्त करना, वह ठीक समझे।

* 1982 के अधिनियम सं.26 की धारा 12 द्वारा मूल अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (3) में नए शब्दों का अंतःस्थापन।

- (2) केन्द्रीय सरकार समित के सदस्यों में से एक को उसका सभापति होने के लिये नामनिर्देशित करेगी।
- (3) समिति को अपने कर्तव्यों के पालन के संबंध में अपनी प्रक्रिया विनियमित करने की शक्ति होगी।
- (4) समिति की निधियाँ, समय-समय पर सरकार द्वारा उसको दिये गये अनुदानों से और किसी व्यक्ति द्वारा उसको दिये गये अंशदानों, दानों, अभिदानों, उत्तरदानों, उपहारों और संग्रहित धनों से मिलकर बनेगी।

उप समितियाँ

- 15क.(1) समिति की किसी शक्ति का प्रयोग करने या उसके किसी कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए या किसी ऐसे विषय पर, जो समिति निर्देशित करे, जांच करने या रिपोर्ट और सलाह देने के लिए समिति उपसमितियाँ गठित कर सकेगी जितनी वह उचित समझें।
- (2) उपसमिति केवल समिति के सदस्यों से गठित होगी

समिति के कर्मचारी

16. केन्द्रीय सरकार के नियन्त्रण के आधीन यह है कि समिति इतने पदाधिकारी और अन्य कर्मचारी नियुक्त कर सकेगी जितने उसे अपनी शक्तियों का प्रयोग और अपने कर्तव्यों का पालन करने के वास्ते समर्थ बनाने के लिये आवश्यक हों और वह ऐसे पदाधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों के पारिश्रमिक तथा सेवा के अन्य निबंधन तथा शर्तें अवधारित कर सकेगी।

समिति के कर्तव्य और जीव जन्तुओं पर प्रयोगों के बारे में नियम बनाने की समिति की शक्ति

17. (1) समिति का कर्तव्य ऐसे सब उपाय करना होगा जैसे यह सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक हों कि जीव जन्तुओं पर प्रयोग करने के पूर्व, दौरान या पश्चात् उन को अनावश्यक पीड़ा या तना नहीं दी जाती है और इस प्रयोजन के लिये वह, भारत के गजट में अधिसूचना द्वारा और पूर्वप्रकाशन की शर्त के अधीन रहते हुए, ऐसे नियम बना सकेगी जैसे वह ऐसे प्रयोगों के संचालन के संबंध में ठीक समझे।
 - *(1क) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित विषयों के लिए उपबन्ध कर सकेंगे, अर्थात् :-
 - (क) पशुओं पर प्रयोग करने वाले व्यक्तियों या संस्थाओं का रजिस्ट्रीकरण
 - (ख) वे रिपोर्ट और अन्य जानकारी जो पशुओं पर प्रयोग करने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं द्वारा समिति को भेजी जाएंगी।
 - (2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, समिति द्वारा बनाये गये नियम इस प्रकार बने होंगे कि उनसे निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति हो जाए, अर्थात् यह:
 - (क) कि उन मामलों में, जिनमें प्रयोग किसी संसदीय में किये जाते हैं उनका उत्तरदायित्व संस्था के भारसाधक व्यक्ति पर है और उन मामलों में जिनमें प्रयोग संस्था के बाहर प्रकृत व्यक्तियों द्वारा किये जाते हैं, वे प्रत्येक व्यक्ति के निमित्त खर्च है और प्रयोग उनके पूर्ण उत्तरदायित्व पर किये जायें:
 - (ख) कि प्रयोग सम्यक् देखरेख और मानवोचित रूप से किये जायें और जहां तक संभव हो शल्यक्रिया अन्तर्वरित रखने वाले प्रयोग जीव जन्तुओं को पीड़ा का अनुभव न होने देनेवाले पर्याप्त प्रभावकारिता के किसी निश्चेतक के प्रभावधीन किये जायें।

* 1982 के अधिनियम सं.26 की धारा 14 द्वारा मूल अधिनियम की धारा 17 में उपधारा (1) के पश्चात् नई धारा का अंतः स्थापन।

- (ग) कि वे जीव जन्तु, जो निश्चेतक के प्रभावाधीन किये जाने वाले प्रयोगों के दौरान इतने क्षतिग्रस्त हो जाते हैं कि उन के फिर से ठीक होने में उग्र यातना कम होगी, मामूली तौर पर तभी विनष्ट कर दिये जायें जब वे अचेतनावस्था में हों।
- (घ) कि जहाँ तक संभव हो जीव जन्तुओं पर प्रयोग परिवर्जित किये जायें, उदाहरणार्थ यदि पुस्तक, माडल, चलचित्र और अध्यापन की अन्य तदनु रूप युक्तियाँ वैसे ही काम सके तो चिकित्सा विज्ञान के स्कूलों, कालिजों तथा तदनु रूप संस्थाओं में उन पर ऐसे प्रयोग न हों।
- (ङ) कि जहाँ गिनीपिग के तौर पर खरगोश, मेढक और चूहों जैसे छोटे प्रयोगशाला जीव जन्तुओं पर प्रयोग करने वैसे ही परिणाम प्राप्त करना संभव हो वहाँ बड़े जीव जन्तुओं पर प्रयोग परिवर्जित रहें।
- (च) कि जहाँ तक संभव हो ये प्रयोग केवल हस्तकौशल सीखने के प्रयोजन के लिये नहीं किया जायें।
- (छ) कि प्रयोग करने के लिये आशयित जीव जन्तुओं की, प्रयोग के पूर्व तथा पश्चात् दोनों समय उचित रूप से देख-रेख हो।
- (ज) कि जीव जन्तुओं पर किये जाने वाले प्रयोगों के संबंध में यथोचित अभिलेख रखे जायें।
- (3) इस धारा के अधीन कोई नियम बनाने में समिति का पथ प्रदर्शन ऐसे निदेशों से होगा जैसे केन्द्रीय सरकार (उन उद्देश्यों से, जिन के लिये समिति स्थापित की गई है, सुसंगत रहते), उसे दे और केन्द्रीय सरकार को ऐसे निर्देश देने के लिये एतद् द्वारा प्राधिकृत किया जाता है।
- (4) समिति द्वारा बनाये गये सब नियम संस्थाओं के बाहर प्रयोग करने वाले सब प्रकृत व्यक्तियों पर और उन संस्थाओं के भारसाधक व्यक्तियों पर बाध्यकर होंगे जिन में प्रयोग किये जाते हैं।

प्रवेश और निरीक्ष की शक्ति

18. यह सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिये कि समिति द्वारा बनाये गये नियमों का अनुपालन किया जा रहा है समिति किसी ऐसी संस्था या स्थान का निरीक्षण करने के लिये जहाँ प्रयोग किये जा रहे हों और ऐसे निरीक्षण के परिणामस्वरूप अपने को रिपोर्ट देने के लिये अपने पदाधिकारियों में से किसी को या किसी अन्य व्यक्ति को लिखकर प्राधिकृत कर सकेगी और ऐसे प्राधिकृत कोई पदाधिकारी या व्यक्ति—
- (क) ऐसी संस्था या स्थान में, जहाँ जीव जन्तुओं पर प्रयोग किये जा रहे हैं, ऐसे किसी समय प्रवेश कर सकेगा जिसे वह युक्तियुक्त समझता है और उसका निरीक्षण कर सकेगा, और
 - (ख) जीव जन्तुओं पर प्रयोगों के संबंध में किसी व्यक्ति द्वारा रखे गये अभिलेख को पेश करने की उस से अपेक्षा कर सकेगा।

जीव जन्तुओं पर प्रयोग प्रतिषिद्ध करने की शक्ति

19. यदि धारा 18 के अधीन निरीक्षण के परिणामस्वरूप या किसी पदाधिकारी या अन्य व्यक्ति द्वारा समिति को दी गयी रिपोर्ट से या अन्यथा समिति का समाधान हो जाता है कि उस द्वारा धारा 17 के अधीन बनाये गये नियमों का अनुपालन जीव जन्तुओं पर प्रयोग करने वाले किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा नहीं किया जा रहा है, तो समिति उस व्यक्ति या संस्था को उस मामले में सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उस व्यक्ति या संस्था को उल्लिखित काल अवधि तक या अनिश्चित काल तक ऐसे कोई प्रयोग करने से प्रतिषिद्ध कर सकेगी या उस व्यक्ति या संस्था को ऐसे प्रयोग करने की अनुज्ञा ऐसी विशेष शर्तों के अधीन दे सकेगी जैसी समिति अधिरोपित करना ठीक समझे।

शास्तियाँ

20. यदि कोई व्यक्ति –
- (क) धारा 19 के अधीन समिति द्वारा दिये गये किसी आदेश का उल्लंघन करता है, या

- (ख) उस धारा के अधीन समिति द्वारा अधिरोपित किसी शर्त को भंग करता है, तो वह जुर्माने से जो दो सौ रुपये तक का हो सकेगा दण्डनीय होगा और जब उल्लंघन या शर्त की भंगता किसी संस्थामें हुई हो, तब उस का भारसाधक व्यक्ति उस अपराध का दोषी समझा जायेगा और पदनुसार दण्डनीय होगा।

अध्याय 5

अभिनय करने वाले पशु

प्रदर्शन और प्रशिक्षण की परिभाषा

21. इस अध्याय में प्रदर्शन से ऐसे मनोरंजन में प्रदर्शन करना अभिप्रेत है जहाँ जनता का प्रवेश टिकट विक्रय द्वारा होता है और प्रशिक्षण से ऐसे प्रदर्शन के प्रयोजन केलिये प्रशिक्षण देना अभिप्रेत है और प्रदर्शक और प्रशिक्षक पदभार के क्रमशः तदनुरूप अर्थ होंगे।

अभिनय करनेवाले जीव जन्तुओं के प्रदर्शन करन और प्रशिक्षण पर निबंधन

22. कोई व्यक्ति—

- (i) किसी अभिनय करने वाले जीव जन्तुका प्रदर्शन या प्रशिक्षण तब तक प्रदर्शित करेगा जब तक वह इस अध्याय के उपबंधों के अनुकूल रजिस्ट्रीकृत नहीं हो जाता,या
- (ii) ऐसे किसी जीव जन्तु का प्रदर्शन या प्रशिक्षण अभिनय करने वाले जीव जन्तु के प्रशिक्षण पर निबंधनरूप में नहीं करेगा जिसे केन्द्रीय सरकार शासकीय गजट में अधिसूचना द्वारा ऐसे जीव जन्तु के रूप में उल्लिखित करे जिस का प्रदर्शन या प्रशिक्षण अभिनय करने वाले जीव जन्तु के रूप में नहीं किया जायेगा।

रजिस्ट्रीकरण के लिये प्रक्रिया

23. (1) अभिनय करने वाले जीव जन्तु के प्रदर्शन या प्रशिक्षण की आकांक्षा रखने वाला हरएक व्यक्ति विहित प्राधिकारी को विहित को विहित प्ररूप में आवेदन देने पर और विहित फीस चुकाने पर, इस अधिनियम के अधीनउस सूरत के सिवाय रजिस्ट्रीकृत किया जायेगा, जिस में वह ऐसा व्यक्ति है, जो इस अध्याय के अधीन न्यायालय द्वारा दिये गये किसी आदेश के कारण ऐसे रजिस्ट्रीकृत किये जाने का हकदार नहीं है।
- (2) इस अध्याय के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिये आवेदन में जीव जन्तुओं के बारे में और उस अभिनय के साधारण रूप के बारे में, और उस अभिनय के साधारण रूप के बारे में, जिनमें उन जीव जन्तुओं का प्रदर्शन किया जाना है या जिन के लिये उनका प्रशिक्षण किया जाना है, ऐसी विशिष्टियाँ अन्तर्विष्ट होंगी जैसी विहित की जाएँ और इस प्रकार दी गई विशिष्टियाँ विहित प्राधिकारी द्वारा रखे गये रजिस्टर में प्रविष्ट की जायेंगी।
- (3) विहित प्राधिकारी ऐसे हर एक व्यक्ति को, जिसका नाम उनके द्वारा रखे गये रजिस्टर में है, विहित प्ररूप में रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र देखा जिसमें रजिस्टर में प्रविष्ट विशिष्टियाँ अन्तर्विष्ट होंगी।
- (4) इस अध्याय के अधीन रखा गया रहएक रजिस्टर निहित फीस देने पर सब युक्तियुक्त समयों पर निरीक्षण के लिये खुला रहेगा और कोई व्यक्ति विहित फीस देने पर उस की प्रतियाँ अभिप्राप्त करने का या उस में उद्घरण लेने का हकदार होगा।

- (5) कोई व्यक्ति, जिस का नाम रजिस्टर में प्रविष्ट है, किसी न्यायालय द्वारा इस अधिनियम के अधीन दिये गये किसी आदेश के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, रजिस्टर में अपनी बाबत प्रविष्ट विशिष्टियों को परिवर्तित कराने का हकदार तत्प्रयोजनार्थ आवेदन करने पर होगा और जहाँ कि ऐसीकोई विशिष्टियाँ ऐसे परिवर्तित की जाती है वहाँ विद्यमान प्रमाणपत्र अपखण्डित किया जायेगा और नया प्रमाणपत्र दिया जायेगा।

अभिनय करने वाले पशुओं का प्रदर्शन और प्रशिक्षण निर्बन्धित करने की न्यायालय की शक्ति।

24. (1) वहाँ कि पुलिस पदाधिकारी या धारा 23 में निर्दिष्ट विहित प्राधिकारी द्वारा लिखकर प्राधिकृत किसी पदाधिकारी द्वारा किये गये परिवाद पर मेजिस्ट्रेट को समाधान प्रदान करनेवाले रूप में यह सिद्ध कर दिया जाता है कि अभिनय करनेवाले जीव जन्तु को प्रशिक्षण या प्रदर्शन में अनावश्यक पीड़ा या यातना दी जाती है और वह प्रतिषिद्ध किया जाना चाहिये या केवल शर्तों के अधीन अनुज्ञात किया जाना चाहिये, वहाँ न्यायालय प्रदर्शन या प्रशिक्षण प्रतिषिद्ध करनेवाला या उसके सम्बन्ध में ऐसी शर्तें अधिरोपित करनेवाला, जैसी आदेश में उल्लिखित की जायें, आदेश उस व्यक्ति के विरुद्ध दे सकेगा, जिसकी बाबत परिषद किया गया है।
- (2) जिस न्यायालय द्वारा इस धारा के अधीन आदेश दिया जाता है वह आदेश दिये जाने के यथाशक्त शीघ्र पश्चात्, उस विहित प्राधिकारी को, जिसके द्वारा वह व्यक्ति, जिसके विरुद्ध आदेश दिया गया है, रजिस्ट्रीकृत किया गया है, उस आदेश की एक प्रति भिजवायेगा और उस व्यक्ति द्वारा धत प्रमाणपत्र पर आदेश की विशिष्टियाँ पृष्ठांकित करायेंगे और न्यायालय द्वारा ऐसी अपेक्षा के किये जाने पर, वह व्यक्ति पृष्ठांकन के प्रयोजन के लिये अपना प्रमाणपत्र पेश करेगा और विहित प्राधिकारी, जिसको आदेश की एक प्रति इस धारा के अधीन भेजी जाती है, उस रजिस्टर में आदेश की विशिष्टियाँ प्रविष्ट करेगा।

परिसर में प्रवेश करने की शक्ति

25. (1) धारा 23 में निर्दिष्ट विहित प्राधिकारी द्वारा लिखकर प्राधिकृत कोई व्यक्ति और कोई पुलिस पदाधिकारी जो उपनिरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो -
- (क) सब युक्तियुक्त समयों पर किसी ऐसे परिसर में, जिनमें अभिनय करनेवाले जीव जन्तुओं का प्रशिक्षण प्रदर्शन किया जा रहा है या वे प्रशिक्षण या प्रदर्शन के लिये रखे जा रहे हैं, प्रवेश कर सकेगा और उनका और उनमें पाये जानेवाले किन्हीं ऐसे जीव जन्तुओं का निरीक्षण कर सकेगा, तथा
- (ख) किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसकी बाबत उसके पास विश्वास करने का कारण है कि वह अभिनय करनेवाले पशुओं का प्रशिक्षक या प्रदर्शक है अपना रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र पेश करने की अपेक्षा कर सकेगा।
- (2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति या पुलिस पदाधिकारी, अभिनय करने वाले पशुओं के सार्वजनिक अभिनय के दौरान रंगमंच पर या उसके पीछे जाने का हकदार इस धारा के अधीन नहीं होगा।

अपराध

26. यदि कोई व्यक्ति-
- (क) इस अध्याय के अधीन रजिस्ट्रीकृत न होते हुए, किसी अभिनय करने वाले जीव जन्तु का प्रशिक्षण या प्रदर्शन करता है, या
- (ख) इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत होते हुए ऐसे अभिनय करने वाले जीव जन्तु का, जिसकी बाबत या ऐसी रीति में, जिसके लिये वह पंजीकृत नहीं है, प्रदर्शन या प्रशिक्षण करता है, या

- (ग) अभिनय करने वाले जीव जन्तु के रूप में ऐसे जीव जन्तु का प्रदर्शन या प्रशिक्षण करता है जो धारा 22 के खण्ड (ग ग) के अधीन जारी की गई अधिसूचना के कारण इस प्रयोजन के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाना है, या
- (घ) धारा 25 में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति या पुलिस पदाधिकारी को प्रवेश या निरीक्षण के सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने में बाधित करता है या मनःपूर्वक विलम्बित करता है, या
- (ङ) ऐसे निरीक्षण का परिवर्जन करने की दृष्टि से किसी जीव जन्तु को छिपाता है, या
- (च) इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति होते हुए, इस अधिनियम के अधीन अपना प्रमाणपत्र पेश करने के लिए इस अधिनियम के अनुसरण में सम्यक रूप से अपेक्षित किये जाने पर युक्तियुक्त प्रतिहेतु के बिना ऐसा करने में असफल रहता है, या
- (छ) इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किये जाने के लिए आवेदन उस सूरत में करता है जिसमें कि वह कैसे रजिस्ट्रीकृत किये जाने के लिए हकदार नहीं है, ते वह सिद्ध दोष ठहराये जाने पर जुमाने से, जो पाँच सौ रुपये तक का हो सकेगी, या दोनों से दण्डनीय होगा।

छूटें

27. इस अध्याय में अन्तर्विष्ट कोई बात -

- (क) प्रामाणिक सैनिक या पुलिस प्रयोजनों के लिये, जीव जन्तुओं का प्रशिक्षण या इस प्रकार प्रशिक्षित किन्हीं जीव जन्तुओं का प्रदर्शन करने, या
- (ख) किसी प्राणि संग्रहालय में या किसी ऐसी संस्था या संस्था द्वारा, जिसका मुख्य उद्देश्य शैक्षणिक या वैज्ञानिक प्रयोजनों के लिए जीव जन्तुओं का प्रदर्शन करना है, रखे गये किन्हीं जीव जन्तुओं के सम्बन्ध में लागू नहीं होगी।

अध्याय 6

प्रकीर्ण

धर्म द्वारा विहित रीति से मारने के बारे में व्यावृत्ति

28. इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट कोई बात, किसी समुदाय के धर्म द्वारा अपेक्षित रीति में किसी जीव जन्तु को मारने को अपराध नहीं बनायेगी।

बारे में व्यावृत्ति सिद्ध दोष ठहराये गये व्यक्ति को जीव जन्तु के स्वामित्व से वंचित करने की न्यायालय की शक्ति

29. (1) यदि किसी जीव जन्तु का स्वामी इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का दोषी पाया जाता है तो उसके इस निमित्त सिद्धि दोष ठहराये जाने पर, यदि न्यायालय ठीक समझता है तो वह किसी अन्य दण्ड के अतिरिक्त, यह आदेश दे सकेगा कि वह जीव जन्तु जिसके सम्बन्ध में अपराध किया गया था सरकार के पक्ष में जब्त कर लिया जायेगा अपरंच वह जीव जन्तु को अध्ययन के संबन्ध में ऐसा आदेश दे सकेगा जैसा कि वह उन परिस्थितियों में ठीक समझता है।

- (2) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश उस सूरत के सिवाय नहीं दिया जायेगा जिसमें इस अधिनियम के अधीन पूर्ववर्ती दोष सिद्धि की बाबत या स्वामी के चरित्र की बाबत साक्ष्य से या जीव जन्तु के साथ बर्ताव की बाबत अन्यथा रूप से यह दर्शित कर दिया जाता है कि यदि जीव जन्तु स्वामी के पास छोड़ दिया गया तो यह संभावना है कि उस पर असर करता हो।
- (3) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, न्यायालय यह भी आदेश कर सकेगा कि इस अधिनियम के अधीन अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया व्यक्ति, या तो स्थायी रूप से या ऐसी कालावधि के दौरान, जैसी आदेश द्वारा नियम की गई है, किसी भी प्रकार के किसी भी जीव जन्तु को या जैसा न्यायालय उचित समझता है आदेश में उल्लिखित किसी प्रकार या जात के किसी जीव जन्तु को अपनी अभिरक्षा में रखने से प्रतिषिद्ध रहेगा।
- (4) उपधारा (3) के अधीन आदेश उस सूरत के सिवाय नहीं दिया जायेगा जिसमें कि -
- (क) पूर्ववर्ती दोषसिद्धि की बाबत या उक्त व्यक्ति के चरित्र की बाबत साक्ष्य से या उस जीव जन्तु के साथ बर्ताव की बाबत जिसके सम्बन्ध में वह सिद्ध दोष ठहराया गया है अन्यथा यह दर्शित कर दिया जाता है कि इस बात की संभाव्यता है कि उक्त व्यक्ति की अभिरक्षा में रहने पर जीव जन्तु पर क्रूरता हो,
- (ख) उस परिवाद में जिसपर दोषसिद्धि की गई थी यह कथित है कि अभियुक्त की दोषसिद्धि पर परिवादी का यह प्रार्थना करने का आशय है कि यथा पूर्वोक्त आदेश दिया जाये, और
- (ग) वह अपराध, जिसके लिये दोष, सिद्धि की गई थी, ऐसे क्षेत्र में किया गया ता जिसमें, तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन, ऐसा जीव जन्तु रखने के लिये, जिसकी बाबत दोषसिद्धि की गई थी, अनुमति आवश्यक है।
- (5) किसी तत्समय प्रवृत्त विधि में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, ऐसे व्यक्ति को, जिसकी बाबत उपधारा (3) के अधीन आदेश दिया गया है, उस आदेश के उपबन्धों के प्रतिकूल किसी जीव जन्तु की अभिरक्षा का अधिकार नहीं होगा, और यदि वह आदेश के उपबन्धों का उल्लंघन करता है तो वह जुमनि से, जो एक सौ रुपये तक का हो सकेगा या ऐसी अवधि के लिए कारावास से, जो तीन मास तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा।
- (6) कोई न्यायालय, जिसने उपधारा (3) के अधीन आदेश दिया है, स्व प्रेरणा पर या तन्निमित्त अपने से आवेदन किये जाने पर, किसी समय ऐसे आदेश को उपखण्डित या रूपभेदित कर सकेगा।

कुछ अवस्थाओं में दोष के बारे में उपधारणा

30. यदि किसी व्यक्ति पर यह आरोप है कि उसने धारा 11 की उपधारा (1) के खण्ड (ठ) के उपबन्धों के प्रतिकूल किसी बकरी, गाय या उसके बच्चे को मार देने का अपराध किया है और यह सिद्ध कर दिया जाता है कि जिस समय अपराध का किया जाना अभिकथित है उस समय उस व्यक्ति के कब्जे में किसी जीव जन्तु की, जैसा इस धारा में निर्दिष्ट है, ऐसी खाल थी जिससे सिर की खाल का भाग जुड़ा हुआ है तो जब तक प्रतिकूल सिद्ध नहीं कर दिया जाता यह उपधारणा की जायेगी कि उस जीव जन्तु को क्रूर नीति से मारा गया था।

अपराधों की प्रसंज्ञेयता

31. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यह है कि धारा 11 की उपधारा (1) के खण्ड(ठ), खण्ड (ड) या खण्ड (ण) के अधीन या धारा 12 के अधीन दण्डनीय अपराध उस संहिता के अन्तर्गत प्रसंज्ञेय अपराध होगा।

तलाशी और अभिग्रहण की शक्तियाँ

32. (1) यदि उपनिरीक्षण की पंक्ति से नीचे न होनेवाले पुलिस पदाधिकारी या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत व्यक्ति से पास यह विश्वास करने का कारण है कि किसी ऐसे जीव जन्तु की बाबत, जैसा धारा 30 में निर्दिष्ट है, धारा 11 की उपधारा (1) के खण्ड (ठ) के अधीन कोई अपराध किसी स्थान में किया जा रहा है, किया जानेवाला है या किया गया है या यह कि किसी व्यक्ति के कब्जे में किसी जीव जन्तु की ऐसी खाल है जिससे सिर की खाल का भाग जुड़ा हुआ है तो वह ऐसे स्थान में, या किसी स्थान में जिसकी बाबत उसके पास विश्वास करने का कारण है कि वहाँ ऐसी कोई खाल है, प्रवेश कर सकेगा और उसकी तलाशी ले सकेगा, और ऐसी खाल को, या ऐसा अपराध करने में प्रयुक्त या प्रयुक्त किये जाने के लिये अपेक्षित किसी चीज या वस्तु को, अभिग्रहीत कर सकेगा।
- (2) यदि उप-निरीक्षक की पंक्ति से नीचे न होनेवाले पुलिस पदाधिकारी के या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत व्यक्ति के पास यह विश्वास करने का कारण है कि उसके क्षेत्राधिकार की सीमा के अंदर किसी जीव जन्तु पर फूँका या दूमदेव या धारा 12 में निर्दिष्ट प्रकृति की कोई क्रिया की गई है या की जा रही है तो वह किसी स्थान में, जिसकी बाबत उसके पास विश्वास करने का कारण है कि वहाँ ऐसा जीव जन्तु है, प्रवेश कर सकेगा और उस जीव जन्तु को अभिग्रहीत कर सकेगा और उसे क्षेत्र के भारसाधक पशुचिकित्सा पदाधिकारी द्वारा, जिसमें कि वह जीव जन्तु अभिग्रहीत किया गया है, परीक्षा की जाने के लिये पेश कर सकेगा।

तलाशी अधिपत्र

33. (1) यदि प्रथम वर्ग या द्वितीय वर्ग के मजिस्ट्रेट या प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट या उपजिला मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त या जिला पुलिस अधीक्षक के पास लिखित इतिला पर या ऐसी जाँच के पश्चात, जैसी वह आवश्यक समझता है, यह विश्वास करने का कारण है कि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी स्थान में क्रिया जा रहा है, किया जानेवाला है, या किया गया है, तो वह उस स्थान में या तो स्वयं प्रवेश कर सकेगा और उसकी तलाशी ले सकेगा या उप-निरीक्षक की पंक्ति से नीचे न होनेवाले पुलिस पदाधिकारी को उस स्थान में प्रवेश करने और उसकी तलाशी लेने के लिए अधिपत्र द्वारा प्राधिकृत कर सकेगा।
- (2) इस अधिनियम के अधीन तलाशियों को दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 के तलाशी संबंधी उपबंध, वहाँ तक लागू होंगे जहाँ तक वे उपबंध लागू बनाये जा सकते हैं।

परीक्षा के लिए अभिग्रहण की साधारण शक्ति

34. कांस्टेबल की पंक्ति से उम्रवाला पुलिस पदाधिकारी या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत व्यक्ति, जिसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि इस अधिनियम के विरुद्ध कोई अपराध किसी जीव जन्तु के सम्बन्ध में किया गया है या किया जा रहा है, उस सूरत में, जिसमें उसकी राय में उन परिस्थितियों से वैसा अपेक्षित है उस जीव जन्तु को अभिग्रहीत कर सकेगा और उस निकटतम मजिस्ट्रेट द्वारा या उस पशु चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा, जो विहित किया गया हो, परीक्षा की जाने के लिए पेश कर सकेगा और सौ पुलिस पदाधिकारी या प्राधिकृत व्यक्ति जीव जन्तु को अभिग्रहीत करते समय उसके भरसाधक व्यक्ति से परीक्षा के स्थान तक, उसके साथ जाने की अपेक्षा कर सकेगा।

जीव जन्तुओं की चिकित्सा और देखरेख

35. (1) राज्य सरकार, ऐसे जीव जन्तुओं की जिनके सम्बन्ध में इस अधिनियम के विरुद्ध अपराध किये गये हैं, चिकित्सा और देखरेख के लिए साधारण या विशेष आदेश द्वारा दुर्बलालय नियुक्त कर सकेगी और उनमें किसी जीव जन्तु

* 1982 के अधिनियम सं.26 की धारा 15 द्वारा मूल अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (2) में डूम देव के स्थान पर अन्य शब्दों का प्रतिस्थापन।

का निरोध तब तक के लिए प्राधिकृत कर सकेगी जब तक कि मजिस्ट्रेट के समक्ष उसका पेश किया जाना लम्बित रहता है।

- (2) वह मजिस्ट्रेट जिसके समक्ष कोई अभियोजन इस अधिनियम के विरुद्ध अपराध के लिए संस्थित किया गया है, निदेश दे सकेगा कि जब तक संयुक्त जीव जन्तु अपना प्रायोजित कार्य करने के योग्य न हो जाये, मुक्त किये जाने के लिये या अन्यथा योग्य न हो जाए तब तक दुर्बलालय में उसकी चिकित्सा और देखरेख की जाएगी या कि इन्हे पिंजरापोल में भेज दिया जाये, या कि उस सूरत में जिसमें उस क्षेत्र का भारसाधक पशु चिकित्सा पदाधिकारी, जिसमें वह जीव जन्तु पाया जाता है या ऐसा अन्य पशु चिकित्सा पदाधिकारी, जो इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया है, प्रमाणित करे कि वह लाईलाज है या उसे क्रूरता के बिना नहीं हटाया जा सकता उसे विनष्ट कर दिया जाये।
- (3) उस सूरत के सिवाय, जिस में मजिस्ट्रेट निदेश देता है कि चिकित्सा और देख-रेख के लिए दुर्बलालय में भेजे गये जीव जन्तु को पिंजरापोल में भेज दिया जाये या विनष्ट कर दिया जाय, उसका ऐसे स्थान में सम्मोचन, उस क्षेत्र के भारसाधक पशु चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा, जिसमें दुर्बलालय आस्थित है, या ऐसे अन्य पशु चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा, जो इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया है, उसकी निर्मोचनार्थ योग्यता का प्रमाण पत्र दिये जाने पर किये जाने के सिवाय नहीं किया जायेगा।
- (4) जीव जन्तु के दुर्बलालय या पिंजरापोल को परिवहन का और दुर्बलालय में उसके भरण-पोषण और चिकित्सा का खर्चा, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा या प्रेसीडेंसी नगरों में पुलिस आयुक्त द्वारा विहित की जाने वाली दरों के मान के अनुकूल जीव जन्तु के स्वामी द्वारा देय होगा,
परन्तु जीव जन्तु के इलाज के लिए खर्चा उस सूरत में देय नहीं होगा जिस में मजिस्ट्रेट जीव जन्तु के स्वामी की निर्धनता के कारण वैसा आदेश देता है।
- (5) जीव जन्तु के स्वामी द्वारा, उपधारा (4) के अधीन देय रकम भू-राजस्व की बकाया की रीति से वसूल की जा सकेगी।
- (6) यदि, स्वामी जीव जन्तु को, इतने समय के अंदर जितना मजिस्ट्रेट उल्लिखित करे-हटाने से इन्कार करता है या उसमें उपेक्षा करता है तो मजिस्ट्रेट यह निर्देश कर सकेगा कि उस जीव जन्तु का विक्रय कर दिया जाये और विक्रय के आगमों को ऐसे खर्चों की अदाषगी में उपयोजित किया जाये।
- (7) ऐसे विक्रय के आगम का यदि कोई अधिशेष हो तो वह विक्रय की तारीख से दो मास के अन्दर स्वामी द्वारा किये गये आवेदन पर, उसे दे दिया जायेगा।

अभियोजनों के लिए मर्यादाकाल

36. इस अधिनियम के विरुद्ध अपराध के लिए अभियोजन अपराध के किये जाने की तारीख से तीन मास के अवसान के पश्चात् संस्थित नहीं किया जायेगा।

शक्तियों का प्रत्ययोजन

37. केन्द्रीय सरकार शासकीय गजट में अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकेगी कि जो शक्तियां उस के द्वारा इस अधिनियम के अधीन प्रयोक्तव्य हैं, उन में से सब या कोई, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जैसी कि वह अधिरोपित करना ठीक समझे, किसी राज्य सरकार द्वारा भी जिम्मेदार होगी।

नियम बनाने की शक्ति

38. (1) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए नियम शासकीय गजट में अधिसूचना द्वारा और पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन रहते हुए बना सकेगी।
- (2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यह है कि केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित सब विषयों के लिये या उनमें से किसी के लिए अर्थात् :
- (क) बोर्ड के सदस्यों की सेवा के *शर्तों के लिये, उनको देय भत्तों के लिये और जिस रीति में वे अपनी शक्तियों का प्रयोग और अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकेंगे उस रीति के लिये,
- ***(कक)वह रीति जिससे नगर नियमों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों का धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (ड) के अधीन निर्वाचन किया जाना है;
- (ख) जीव जन्तु द्वारा ले जाये जाने वाले या खींचे जानेवाले (यात्रियों के वजन से होने वाले भार सहित) अधिकतम भार के लिए।
- (ग) जीव जन्तुओं की तअन्नतिसंकुलता का निवारण करने के वास्ते पालन की जाने वाली शर्तों के लिये,
- (घ) उस कालावधि के लिये जिसके दौरान, और उन घण्टों के लिये जिन के मध्य, किसी वर्ग के जीव जन्तुओं का प्रयोग भारवाहन के प्रयोजनों के लिये नहीं किया जायेगा।
- (ङ) जीव जन्तुओं के प्रति क्रूरता अन्तर्बलित रखने वाले लगाम या साज का प्रयोग प्रतिषिद्ध करने के लिए।
- (ड क)*धारा 11 की अपराध (3) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट आवारा कुत्तों के नष्ट किए जाने की अन्य पद्धतियां।
- (ड ख)वे पद्धतियां जिनसे ऐसे पशु को, जिसे बिना क्रूरता से नहीं हटाया जा सकता है, धारा 13 की उपधारा (3) के अधीन नष्ट किया जा सकेगा ,
- (च) नालबंध का कारोबार करने वाले व्यक्तियों, से ऐसे प्राधिकारी द्वारा जो विहित हो, अनुज्ञात और रजिस्ट्रीकृत होने की अपेक्षा करने के लिये और उस प्रयोजन के लिए फीस के उदग्रहण के लिए,
- (छ) विक्रय, निर्यात या किसी अन्य प्रयोजन के लिये जीव जन्तुओं के पकड़ने में बरती जाने वाली पूर्व सावधानियों के लिये ऐसे साधनों और युक्तियों के लिये केवल मात्र जिनका ही प्रयोग इस प्रयोजन के लिये किया जा सकेगा और ऐसे पकड़ने के अनुज्ञापन के लिये और ऐसी अनुज्ञप्तियों के लिये फ्रीस के उदग्रहण के लिये,
- (ज) जीव जन्तुओं के परिवहन में, भले ही वह रेल, सड़क, अन्तर्देशीय जल मार्ग, समुद्र या विमान द्वारा किया जाये, बरती जाने वाली पूर्व सावधानियों के लिये और उस रीति के लिये जिस में और उन पिंजड़ों या अन्य पात्रों के लिये जिन में उनका इस प्रकार परिवहन जा सकेगा,
- (झ) जिस परिसर में जीव जन्तु रखे जाते हैं या दुहे जाते हैं, उन पर स्वामित्व रखने वाले या उसके भारसाधक व्यक्तियों से ऐसे परिसर के पंजीकृत कराने, उन शर्तों का जो ऐसे परिसर की सीमा-के अन्दर या उसके पास-

* 1982 के अधिनियम सं.26 की धारा 16 (क) (i) द्वारा निबंधनों और शब्दों का लोप किया जाएगा।

** 1982 के अधिनियम सं.26 की धारा 16 क (ii) द्वारा मूल अधिनियम 38 की उपधारा (2) के खण्ड (क) के पश्चात् नए खंड (क क) का अंतः स्थापन।

* 1982 के अधिनियम सं.26 की धारा 16 (क) (iii) द्वारा खण्ड (ड) के पश्चात् नये खंड (ड क) (ड ख) अंतः स्थापित किए गए हैं,

पड़ोस के सम्बन्ध में नियम की जाएँ अनुपालन करने, उनका निरीक्षण या अभिनिश्चित करने के प्रयोजन के लिये अनुज्ञात करने कि क्या उनमें इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया जा रहा है या किया गया है और ऐसे परिसरों में धारा 12 की प्रतियाँ उस स्थान में सामान्यतः समझी जा सकने वाली भाषा या भाषाओं में अभिदर्शित करने की अपेक्षा करने के लिये,

- (ज) इस प्रारूप के लिये जिसमें अध्याय 5 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिये आवेदन किया जा सकता है, उसमें अन्तर्विष्ट होने वाली विशिष्टियों के लिये, ऐसे रजिस्ट्रीकरण के लिये देय फीसों के लिये और जिन प्राधिकारियों को ऐसे आवेदन दिये जा सकेंगे उनके लिये,
- *(क) वह शुल्क जो उन व्यक्तियों या संस्थाओं के रजिस्ट्रीकरण के लिए, जो पशुओं पर प्रयोग कर रहे हैं, या किसी अन्य प्रयोजन के लिए, धारा 15 के अधीन गठित समिति द्वारा प्रभारित की जा सकेगी,
- (ट) इस अधिनियम के अधीन वसूल किये गये जुर्माने जिन प्रयोजना पर प्रयुक्त किये जा सकेंगे उनके लिए जिनके अन्तर्गत कि दुर्बलालयों, पिंजरापोलों और पशु चिकित्सा अस्पतालों का बना रखना भी है,
- (ठ) किसी अन्य विषय के लिये जो विहित किया जाना है या किया जाये, उपबन्ध करनेवाले निगम बना सकेगी।
- (3) यदि कोई व्यक्ति इस द्वारा के अधीन बनाये गये किन्ही नियमों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन अभिप्रेरित करता है तो वह जुर्माने से जो एक सौ रूपया तक का हो सकेगा या कारावास से जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी या दोनों से दण्डनीय होगा।

**

नियमों और विनियमों का संसद के समक्ष रखा जाना

***38.क केन्द्रीय सरकार द्वारा या धारा 15 के अधीन गठित समिति द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम विनियम बनाए जाने के पश्चात् यथा शीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्रे अवसान के पूर्व दोनों सदन, यथास्थिति, उस नियम या विनियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाए, तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाए कि, यथास्थिति, वह नियम या विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु नियम या विनियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात को विधिमाम्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

धारा 34 के अधीनप्राधिकृत व्यक्तियों का लोक सेवा होना

39. राज्य सरकार द्वारा धारा 34 के अधीन प्राधिकृत हरएक व्यक्ति भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवा समझा जायेगा।

* धारा 38 की उपधारा (2) के खण्ड (ज) के पश्चात् नए खण्ड (जक) का अंतः स्थापन।

** 1982 के अधिनियम सं.26 की धारा 16 (ख) द्वारा मूल अधिनियम 38 की उपधारा (4) का लोप किया जाता है।

* 1982 के अधिनियम सं.26 की धारा (17)धारा मूल अधिनियम की धारा 38 के पश्चात् नई धारा (38क) का अंतः स्थापन।

अभयदान

40. ऐसा व्यक्ति के खिलाफ जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक है या समझा जाता है कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधि कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिये आशयित किसी बात के लिये नहीं की जायेगी।

1890 के अधिनियम 11 का निरसन

41. जहाँ कि धारा 1की उपधारा (3) के अधीन अधिसूचना के अनुसरण में इस अधिनियम का कोई उपबन्ध किसी राज्य में प्रवृत्त होता है, वहाँ जीव जन्तुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, 1890 का खो ऐसा उपबंध जो ऐसे प्रवृत्त होनेवाले उपबन्ध के सदृश्य है तदोपरान्त निरसित हो जायेगा।

मवेशियों के चिकित्सा उपचार के लिए डायॅकलोफिनक दवाई का उपयोग नहीं किया जाये इसके बदले मेलोक्सिकम का उपयोग किया जाये।

अनुबंध

अधिनियम की धारा 1 (3) के अन्तर्गत उल्लिखित राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों में इसे लागू करने के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं,

- (क) भारत सरकार के खाद्य एवं कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग) की 25 अगस्त, 1961/भद्र, 1883 के अनुसार अध्याय I तथा II 01 सितम्बर, 1961 से निम्न राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों में लागू हुए: आसाम, आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, केरल, मद्रास (तमिलनाडु), महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मैसूर (कर्नाटक), उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, मणिपुर तथा त्रिपुरा।
- (ख) भारत सरकार के खाद्य एवं कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग) की अधिसूचना क्रमांक 19-12/63-एल डी दिनांक 11 जुलाई 1963/20 आषाढ 1885 (एस.ई.) के अनुसार अध्याय IV 15 जुलाई, 1963 से आसाम, आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, केरल, मद्रास (तमिलनाडु), महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मैसूर (कर्नाटक), उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल राज्यों तथा दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर एवं त्रिपुरा के केन्द्र शासित प्रदेशों में लागू हुआ।
- (ग) भारत सरकार के खाद्य एवं कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग) की अधिसूचना क्रमांक 9-24/62-एल डी दिनांक 29 अक्टूबर, 1963/7 कार्तिक 1885 (एस.ई.) के अनुसार अध्याय II तथा II 20 नवम्बर, 1963 के आसाम, आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, केरल, मद्रास (तमिलनाडु) महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मैसूर (कर्नाटक), उड़ीसा, राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश राज्यों तथा दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर एवं त्रिपुरा के केन्द्र शासित प्रदेशों में लागू हुए।
- (घ) भारत सरकार के कृषि एवं सिंचाई मंत्रालय (कृषि विभाग) की अधिसूचना क्रमांक 21-2/74-एल डी आई दिनांक 28 मई 1975 के अनुसार अध्याय III तथा IV 01 जून 1975 से पश्चिम बंगाल में लागू हुए।
- (ङ) खाद्य एवं कृषि मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक 9-2/61-एल डी के अनुसार सम्पूर्ण अधिनियम 01 अप्रैल 1961 से पंजाब राज्य तथा अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह में लागू हुआ।
- (च) खाद्य एवं कृषि मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक 9-2/61 एल डी के अनुसार अध्याय I तथा II तत्कालीन केन्द्र शासित हिमाचल प्रदेश में 02 अक्टूबर, 1961 से लागू हुए।
- (छ) खाद्य एवं कृषि मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक 9-21/61 एल डी के अनुसार अध्याय I तथा II 26 जनवरी, 1962 से राजस्थान राज्य में लागू हुए।
- (ज) कृषि एवं सिंचाई मंत्रालय (कृषि विभाग) की अधिसूचना क्रमांक 14-22/76 एल डी आई दिनांक 24 मई 1977 के अनुसार अध्याय V सभी राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों (जम्मू एवं काश्मीर के अतिरिक्त) 24 मई 1977 से लागू हुआ।